

पञ्जाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (1956)

प्रकरण संख्या 7/2019

राजस्थान सरकार जिरा
 पटवारी हल्का चौलादेवा
 द्वारा श्री बाबू सिंह / जसवंत सिंह, मेरठ
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट
 निर्णय


दिनांक 8-5-2019

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी उपस्थित। मैंने पत्रावली का अदालत किया। पटवारी हल्का चौलादेवा
 द्वारा संख्या 2076 ग्राम चौलादेवा की सरकारी भूमि संख्या नम्बर 630/440 कुल क्षेत्र 263/8
 किस भूमि चौलादेवा में से संख्या 31, 32 भूमि पर अप्रार्थी श्री बाबू सिंह / जसवंत सिंह
 जाति भोजपुरी निवासी चौलादेवा द्वारा नाजायज मकान व आदीबारी कर लिये
 जाने की भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रकरण भू-राजस्व
 अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रिकॉर्ड किया जाकर अप्रार्थी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की
 धारा एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 8/5/2019 को मुकाम मेरठ
 पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया।

अप्रार्थी में नोटिस के जवाब में अपने पक्ष में कोई वेत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक
 तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। भूमि नियमन योग्य नहीं है।

मैंने पत्रावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं नमन किया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कोई वेत दस्तावेज एवं
 दस्तावेज पेश नहीं किए एवं अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर अपना अवैध अतिक्रमण होना स्वीकार किया। भूमि सर्वेक्षण राजस्व
 रेकार्ड अनुसार सरकारी साते में दर्ज है। अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है। अतः
 अप्रार्थी बाबू सिंह पुत्र जसवंत सिंह जाति भोजपुरी
 निवासी चौलादेवा को सरकारी भूमि ग्राम चौलादेवा के संख्या नम्बर 630/440 कुल
 संख्या 908/110 किस जमीन चौलादेवा में से संख्या 31, 32 भूमि पर किए गए नाजायज
163/110 कब्जे/काश्त के लिए अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिए जाते हैं कि अप्रार्थी को उक्त भूमि में वे वेतसल किया जाये
 एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.90, 0.60 का पचास गुणा 75% अर्थात् बतौर आर्थिक आदेशित
 की जावे व मौके पर खड़ी फसल/अन्य को जब सरकार कर निलाम किया जाये आदेश की पालना में भू-अतिक्रमण निरोधक/
 पटवारी हल्का को व हिमाण्ड फायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जाये। पत्रावली भर कार्यवाही पत्रावली सुभान
 होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8/5/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे हजरतस सुभाया गया एवं काबिज किया
 किया गया।


 तहसीलदार भू-राजस्व
 जिला अजमेर

